उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 410081

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	-	रू0 7,20,993/-
बाजारू मूल्य	-	रू0 2,43,250/-
अदा किये गये [illegible]		रू0 72,100/-

1.	भूमि का प्रकार	-	कृषि
2.	परगना	-	लखनऊ
3.	ग्राम	-	अहमामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि खसरा संख्या 1079 रकबा

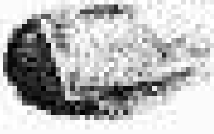

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410062

-2-

0.278 है0 का 1/2 भाग अर्थात रकबा 0.139 है0 स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.139 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 894940

9. पेड़ों की स्थिति - नहीं

10. बोरिंग/ कुआं अन्य - कुछ भी नहीं है ।

चौहद्दी खसरा नं0 1079

उत्तर	: चकरोड
दक्षिण	: ग्रामसभा कुसुम्हा उर्फ ... [illegible]
पूरब	: खसरा संख्या- 1080
पश्चिम	: खसरा संख्या- 1078

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4 894938

प्रथम पक्ष की संख्या- 1	:	द्वितीय पक्ष की संख्या- 1
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
छोट्टन पुत्र रामा निवासी -अहमामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ।	:	मिठाईलाल पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर सिटौरा पो0 नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 994939

-5-

यह विक्रय विलेख छेदटन पुत्र रामा निवासी -अहमामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् मिश्रीलाल पुत्र बाबेलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर सिठारी पो0 नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 1079 रकबा 0.278 हे0 का 1/2 भाग अर्थात रकबा 0.139 हे0 स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 894937

तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व दाखिल है तथा उपरोक्त सत्यापित कम्प्यूटरीकृत खतौनी का संख्या 00037 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता को पैसों की सख्त आवश्यकता है इसलिये वह अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH

चुका एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर भूमि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उनके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद या वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या बाधा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 7,20,993/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता सही स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को जरिए बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 337062

कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 580066

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ-विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहित नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह

का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.139 हेक्टेअर की कुल मालियत 2,43,250/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 72,100/- स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है न कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 7,20,993/- द्वारा चेक संख्या 594056

शुल्क पत्र

[illegible]	243,240.00	1,000.00	40	1,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी स्थायी [illegible] जिला लखनऊ

अस्थायी पता [illegible]

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/5/2007 समय 12:05 PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

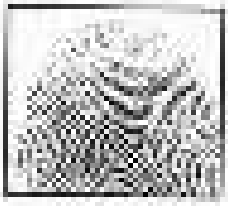

आर.के. श्रीवास्तव

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

25/5/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. [illegible] प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible] जिला लखनऊ

क्रेता

श्री / श्रीमती मिश्रा [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] जिला [illegible]

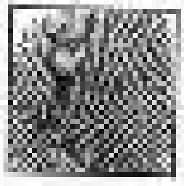

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुशील कुमार मिश्रा

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

व श्री राजेश कुमार

पुत्र श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible] जिला लखनऊ

ने की।

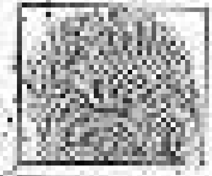

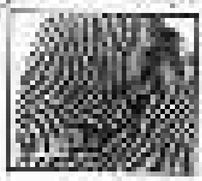

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

आर.के. श्रीवास्तव

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

25/5/2007

दिनांकित 24.08.2007 पंजाब नैशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ से क्रेता को प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 7,20,993/- (रुपया सात लाख बीस हजार नौ सौ तिरानवे मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते है तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:
दिनांक : 24.08.2007
<u>गवाह</u> :-क्रेता की पहचान की
1\.   विक्रेता

2\. विक्रेता की पहचान की   क्रेता

टाईपकर्ता   मसविदाकर्ता
(मोनू कुमार)   (राजेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ   एडवोकेट

[illegible]

Registration No 8540 Year 2007 Book No 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 1077

[illegible] 0.139

[illegible]

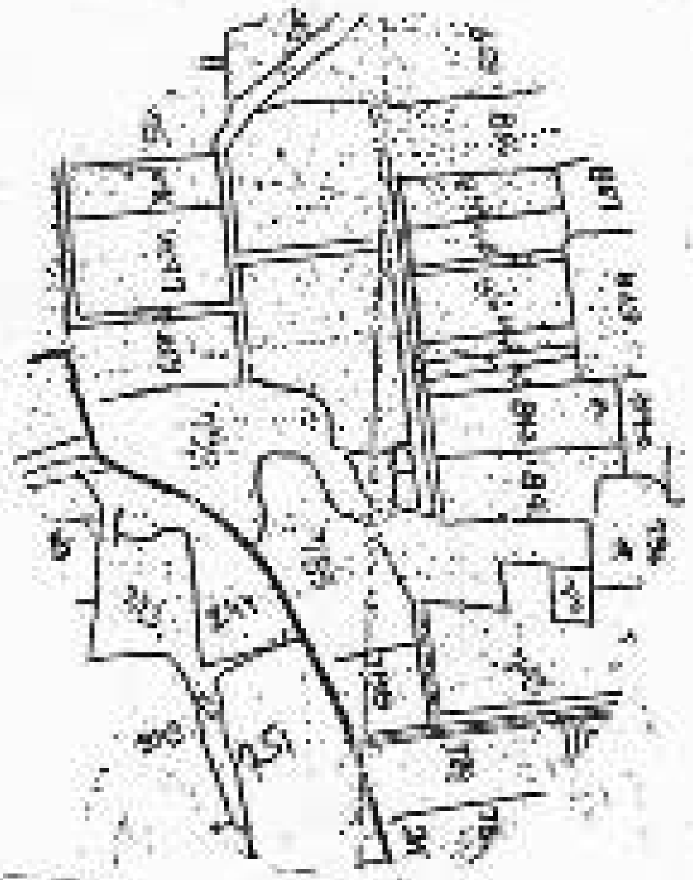

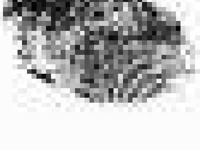

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Registration No. [illegible] Year : 2007 Book No. 1

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

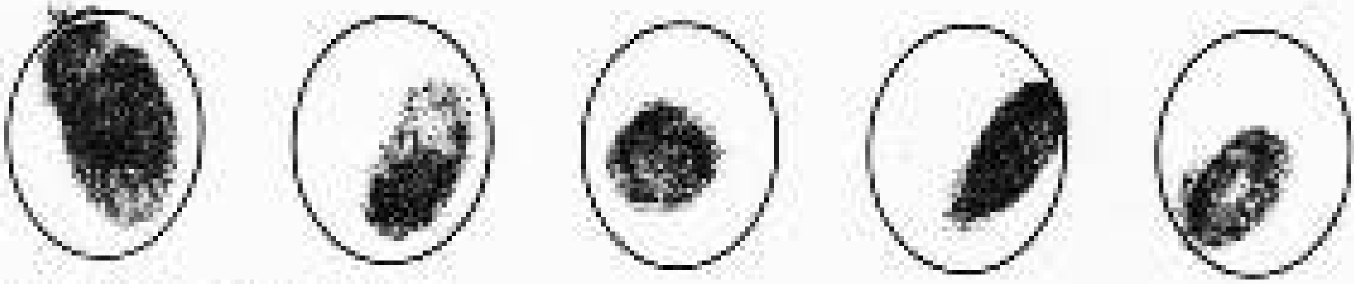

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

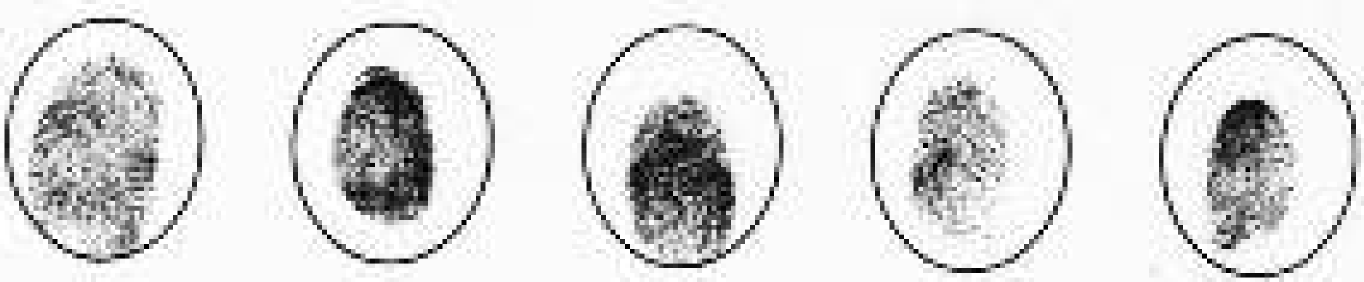

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 25/08/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 6868

पृष्ठ सं 205 से 232 पर क्रमांक 8040

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

आर के श्रीवास्तव

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

25/8/2007